न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

0 नं0 111/2023 ता0 रजू 06.07.2023

उनवान

हीरा पुत्र मु0 रोडू जाति गूजर निवासी छाण मय बाससूर्या। वादी

बनाम

आशाराम पि0 गणेश जाति गूजर निवासी छाण मय बाससूर्या ।
राजाराम पि0 गणेश जाति गूजर निवासी छाण मय बाससूर्या ।
सायरी देवी पत्नी गणेश जाति गूजर निवासी छाण मय बाससूर्या।
आशा पत्नी आशाराम जाति गूजर निवासी छाण मय बाससूर्या ।
रोशनी पत्नी राजाराम जाति गूजर निवासी छाण मय बाससूर्या ।

–प्रतिवादीगण–

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांकः–03.04.2024

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नं0 1604/1825 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम छाण मय बाससूर्या उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। जिसे वह काश्त करता आ रहा हैं। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना सरोकार किसी किस्म का नहीं हैं। प्रतिवादीगण संख्या व बल में अधिक होने व लाठी तथा पैसे वाले होने के कारण जबरन वादी की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से घूस कर कब्जा करना चाहते हैं। वादी को बेदखल कर बेकब्जा करना चाहते हैं। काश्त करने से रोकते हैं। लडाई झगड़ा करते हैं। वादी के कब्जे काश्त में बैजाभजाहमत करते हैं। मेर डोल को तोड़कर व सीमा कोस कर वादी की आराजी में जबरन घूसकर कब्जा करना चाहते हैं। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं।

दिनांक 30.06.2023 को प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त खातेदारी की आराजियात पर आकर धमकी दी की हम तुम्हारी खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करेगें। बेदखल करेगें। आयन्दा काश्त करने नहीं देगें। फसल को भी नष्ट करेगें इसलिए वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अगर प्रतिवादीगण को उनकी उक्त बैजा हरकतो व कार्यवाहीं से बाज रहने के लिए जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण जबरन वादी की आराजी उक्त में जबरन कब्जा कर लेगें बैजाभजाहमत करेगें जिसे वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में कतहीं सम्भव नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। विवाद मूल दिनांक 30.06.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त आराजी में आकर जबरन बैजाभजाहमत की धमकी दी। इसलिए दावा अन्दर मियाद पेश हैं।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया की वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 1604/1825 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम छाण मय बाससूर्या में जबरन बैजाभजाहमत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें। जबरन बेदखल नहीं करें। स्वयं जबरन कब्जा नहीं करें। खरार करने/फसल काश्त करने, काटने से मना नहीं करें। वादी के सम्पति अधिकारों में किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिए सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद के उपस्थित नहीं आयें। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाहीं अमल में लायी गयी।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 411 ग्राम छाण मय बाससूर्या प्रदर्श 1, पेश की। तथा बयानात स्वयं वादी हीरा, गवाह रामदयाल के करवाये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र के अनुसार रहीं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 1604/1825 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम छाण मय बाससूर्या मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खतौनी संख्या 411 प्रदर्श 1 के अनुसार वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज हैं। वादी उक्त आराजी से किसी दिगर का कोई लेना देना किसी किस्म का नहीं होना जाहिर है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न तो उप0 आयें तथा नाहि कोई जवाब हीं उनका आया हैं। इसे जाहिर हैं कि उन्हे उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv
Date: 2024.09.10 14:28
Reason: SelfAttested

के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हैं। वादी ने स्वयं के तथा गवाह रामदयाल के बयानात भी करवायें हैं। जिससे वाद की ताईद होती हैं। वाद वादीग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अपने खातेदारी अधिकारो की सूरक्षा करवाये जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन हकदार है। प्रतिवादीगण को उनकी बैजा हरकतो से पाबन्द नहीं किया गया तो वे वादी की आराजी उक्त में अनावश्यक हस्तक्षैप करेगें। जिससे वादी को नाकाबिले तलाफी नुकशान होना प्रतित हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित हैं।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 1604/1825 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम छाण मय बाससूर्या में वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में जबरन बैजाभजाहमत नहीं करें। जबरन वादी को बेदखल कर कब्जा नहीं करें। वादी को फसल काश्त करने, काटने से मना नहीं करें। आराजी के उपयोग उपभोग में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:28:46 IST
Reason: SelfAttested